RTL MATTER / BY SPEED POST

RTI/49/2013-F-I Government of India Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi, dated 28th May, 2013

Τo

Shri Avinash Kumar Dwivedi, Father; Sh. Ram Niwas Dwivedi, House No.42/7, Gyan Jyotividya, Behind Temple, Ward No.14,, Manendergarh Korea, Chhattisgarh

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your application dated 12.04.2013, received by the undersigned on 01.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No.A-43020/01/2013/-RTI dated 30.04.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

- 2. Information sought by you in point nos. 1 and 2 of your RTI application is not centrally maintained in Ministry of Home Affairs (Foreigners Division). You may contact Home Departments of the concerned State Govts/UT Administration for this information.
- 3. As regards point no 3 of your RTI application, it may be stated that in respect of Pakistani nationals belonging to minority communities in Pakistan who have come to India and have not gone back to Pakistan on the grounds of religious persecution, instructions have been issued by the Ministry of Home Affairs to the State Governments/UT Administrations on 7.3.2012 to consider such cases in the light of the guidelines issued by the Government on 29.12.2011 to deal with cases of foreign nationals who claim to be refugees. The guidelines issued on 29.12.2011 stipulate that in case it is found that prima facie the claim of the foreign national regarding reasons for leaving the originating country is justified on the grounds of well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, the State Governments/UT Administration may recommend such cases to the Ministry of Home Affairs for grant of Long Term Visa (LTV) after due enquiry. It is further provided that the Ministry of Home Affairs will consider all inputs and convey the final decision on grant of LTV to the State Governments/UT concerned. There are no other specific proposals under consideration of this Ministry with regard to Pakistani and Bangladeshi nationals claiming to be refugees.
- 4. As regards point no. 4 of your RTI application, it may be stated that the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) has no information to furnish in this regard. You may contact the Ministry of External Affairs (Pak Division) for obtaining information, if any available, with them.
- 5. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V.Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

(P.V. Sivaraman) Director (Foreigners) & CPIO

•	guy Co Guy Salavan karabah.
	मारत सरकार भारत सरकार महिमालय भारत सरकार
7.3	भारत सरवार) गह मंत्रालय
F	1) on loane
	न्द्र दिल्ला, दिनीक : 50 पि , 2013
	विषय : सूचना द्या अधिकार अधिकियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री सितिनीश्री के 711र सिनित
	新華孫福安培
	अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री अधिनीई। भेजार द्विषेप के दिनांकः 29/4/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांकः 29/4/2013 को प्राप्त) को निदेश / एकः अधि । प्रभाग को
	दिनांक: 29 / 4 /2013 को प्राप्त) को उपदेश / एक एक असि । प्रभाग को
	अग्रीषित करने का निर्देश हुआ है, क्यांकि मांगा गई सूचना उपत प्रमाग क क्रियाकलापा स संवापत
	हैं/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से हैं, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन
	को सीधे उस प्राधिकारी को अब्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।
	2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक:/2013 की रसीद
	संकं तहत जमा कर दिया है (संतब्द) न हीं किया है क्योंकि वह वी पी एल श्रेणी से संबंध, रखता/रखती है।
	संतरनकः यथोपरि
•-	(संजय किन्न) अवर सचिव, भारत सरकार
Æ)	सेवा में निविश्वाक (एका) शृह मन्जालय एवा डी. थी. थी. हा अवन अयासहं थेडि
(3)	में में प्राप्त (एका) शृह मन्जालय एन डी. भी. भी भी भी भाग प्राप्त थेड़ जर्ड 10 ल्ली उपसाचेव (सर्ववास) शृह मन्जालय एन डी. भी. भी भी भी भाग प्राप्त थेव प्राप्ताचेव (सर्ववास) शृह मन्जालय
	प्रति स्वनार्थ प्रेषित । प्राणीतिनास अग्रास्त्रिकित । प्राणीति ।
	मान्द्र के पोर्ट वाई वह 14

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केर्न्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।) जनसूचना अधिकारी,

गृह मेत्रालय भारत सरकार 466014 नार्थ बलाक, नई दिल्ली - 110 001 कर कर

विषय:-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बावत्।

---000----

8787/RTI/8013 30/4/13

मान्यवर.

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक अविनाश कुमार द्विवेदी आ. श्री राम निवास द्विवेदी निवासी वार्ड क्र. 14. ज्ञान ज्योति विद्या मंदिर के पीछे मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छ.ग. 497442 सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी निम्न बिन्दुओं के आधर पर चाहता है। कृपया जानकारी आवेदक को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1. वर्ष 2009 से फरवरी 2013 तक कितने पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी हिन्दू भारत आये? इनमें से कितने शरणार्थी के तौर पर आए।
- 2. इन तमाम हिन्दू भाईयों को कितने-कितने दिनों का वीजा दिया गया था, जिनमें से कितने हिन्दु वापस अपने वतन लौटे।
- 3. पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हिन्दुओं के विषय में भारत सरकार / गृह मंत्रालय की क्या-क्या योजनाएँ है?
- 4. पाकिस्तान में हिन्दुओं के हितो की रक्षा हेतु भारत सरकार के द्वारा क्या और कौन कौन से प्रयास (इनिसेटिव) किये गये हैं।

कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी

संलग्न:- गरीबी रेखा का राशन कार्ड

अविनाश कुमार द्विवेदी पिता श्री राम निवास हिवेदी म.क्र.42 / ७,ज्ञान ज्योतिविद्या मंदिर के पीछे वार्ड क्र.14 मनेन्द्रगढ कोरिया छ.ग.

्रमुखिस् या पूरा नामः रामनिवास

परिवार के संदस्य का विवरण

मुखिया से मंबध पिता/पति का नाप अंग्र . 18 रामामियाम था. जाश्वादान प्रजाद अविमाखा स्वाहर्ता अभिना भी श्रामितिका

A CHINER AS ्रश्यात्रेत्र मुख्या का

अस्तास्तर / अंगुठे स्ता निशान

高祖 电影响 नगरपानिका परिषद महो वार्ड स. १ त

कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्नाक्षर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आद्श सार्वजतिक वित्यम ग्रणाली के संबंध में

आयेश दिवांक ११-१५३

- अनाधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं को भौंपने एवंगशन कामग्री की कालाबाजारी/र जर्दन र क को दुकानदार द्वारा अपने पास एखने, राशनकाडों में जाती प्रविध्नि करने, राज्य होता 🤾 .निर्घारित समयानुसार दुकान राजाने, निर्धारित दसें पर खाद्यान्न वितरण न करने, सशनकार वाले उचित मूल्य दुकानदाशें का लाइभेंस निस्त्त किया जाये।
- 2. थी. पी. एल./अन्त्योदय परिवासीकी वात्रतानुसार एवंडनकी सुविधा अनुसार ि श्रेतो र खाद्यान्न क्रय करने दिया जाये।
- 3. गरीवी रेखा के मीचे जीवन वापन करने गांते एवंअति गरीव अनयोदयं परिवारों को खादान पात्रता के संबंध में अवगत कराने हेतु एवांर प्रधार किया जाये।
 - 4. अन्योदय अन्न योजना हे अंतर्का किम श्रेषी के लोगों को सामिलित किया जांवे -
- (1) बृख निःशक्त एवंनिभाश्रती स्त्री एवंयुरुष, विध्वाएंएकाकी महित्याएंकिन कोई आर्थिक सहायताप्राप्तन के,
- 60 वर्ष या उसरे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति सहायता एवंजीवन यापन के लाइन उपलब्ध न हो। (2)
- निःशक्त स्यक्ति प्रमुख भिष्टार जिन्हें जीवनयापन के काथन उपन (3)
- (4) ऐसे परिवरि जिसमें वृद्धावरूथा, शारीरिक और मानसिक अन्तरुक्य परिवार का कोई भी बयरान सदस्य घर से गहर लामकारी शेजनार का तथा निःशष्त त्यक्ति की देख-रेख की आवश्यकता या छन्य बहुराहे
- (5) विशेष पिछडी जनजातियाँ। ...

बी.पी.एल. परिवारों हेत् नि.शुल्क चिकित्सा सहायता

ारीकी रेखा के नीचे की दन-प्यापन करने तक्ष समस्त थी, पी, एस. प्रतिवासें हेतु साज्य शासन का अने निम्न विकित्सा सुविधार्यन्धः शुल्क उपजन्य हे :--

- . संज्य शासन के समस्त अस्पताःों में टीक्सियों के मिवान हेतु उपतत्य दिक्तिता सुनिवार्
- 2. राज्य बीमारी फहायता सिधि (एर्जाल-५ कार) से 13 मंभीर बीमारियों हेतु सहाय ना 12 रोजन्
- प्रत्यारोपण, 4. कूल्हे की हड़ी ददराना, 5. गुटमा यदलना, 6. सिर की अंदरूनी चोट सर्दांस, 7. ट . सभी प्रकार के कैंसर रोग का पूर्ण उपचार एवं ऑपरेशन, 2. वक्षीय सर्जरी, 3. गुर्वा की संज्ञी एक्नु सर्जिशे, 11. प्रसव उपरान्त उत्यत्र जटिलताएं, 12. हृदय की सर्जिशे, 13. प्राकृतिक विषया औद्योगिक दुर्घटनाओं, कृषि उपकरणे संस्तृत न तथा यम विस्फोट से हुई दुर्घटना के उपनार एट सर्ज स प्रत्यारोपण, ८. नीम वेहोशी स्थितियां, ९. रीड की हड्डी की सर्जरी, 10. आंख के पर्दे के अलग् होने
- 3. संजीवनी कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु अपने जिले के कलेक्टर को निर्धारित प्रारुप में जातश प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 4. निर्धन व्यक्तियों की विकिल्सा हेतु राज्य शासन द्वारा एरकार्ट हार्ट सेन्टर एवं आयुष्मा निर्धात नातर

15/1/2

आर0टी आई0 मामला/स्पीड पोस्ट द्वारा


आर0टी0आई0/49/2013-एफ0-।

भारत सरकार गृह मंत्रालय

एन0डी0सी0सी0-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक, ३०मई, 2013

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार द्विवेदी, पिता ; श्री राम निवास निवास द्विवेदी, म0न0 42/7, ज्ञान ज्योत्तिविद्या, मंदिर के पीछे, वार्ड संख्या 14 मनेन्द्रगढ़ कोरिया, छत्तीसगढ



3 1 MAY 2013

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी - के संबंध में।

महोदय,

कृपया श्री संजय मित्रा, अवर सचिव (आर0टी0आाई0) गृह मंत्रालय के दिनांक 30.04.2013 के का0जा0 संख्या ए-43020/01/2013-आर0टी0आई के तहत् अंतरित, अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.05.2013 को प्राप्त किए गए अपने दिनांक 12.04.2013 के आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् जानकारी मांगी गई है।

- 2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 1 और 2 में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी केन्द्रीय रुप से गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) में नहीं रखी जाती है इस जानकारी के लिए कृपया आप संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के गृह विभागों से संपर्क करें।
- 3. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो धार्मिक उत्पीड़न के आधारों पर भारत आए हैं और पाकिस्तान वापिस नहीं गए हैं, के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 07.03.2012 को निदेश जारी किए गए हैं कि शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के मामलों से निपटने के लिए ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2011 को जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार करे। दिनांक 29.12.2011 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में आवश्यक शर्त है कि यदि मूल देश छोड़ने के संबंध में जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, नृजातीय पहचान, किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक समूह की सदस्यता की वजह से उत्पीड़न के सुस्थापित भय के कारण विदेशी राष्ट्रिक द्वारा किया गया दावा प्रथम दृष्टया सही

OL

पाया जाता है तो राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सम्यक जांच के पश्चात् दीर्घाविधक वीजा की मंजूरी हेतु ऐसे आमलों की सिफारिश गृह मंत्रालय से करें। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय सभी जानकारियों पर विचार करेगा और दीर्घाविध वीजा की मंजूरी पर अंतिम निर्णय की सूचना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को देगा। शरणार्थी होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी और बंगलादेशी राष्ट्रिकों से संवंधित अन्य कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

- 4. आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 4 के संबंध में, उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रस्तुत करने हेतु कोई जानकारी गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) में नहीं है। आप विदेश मंत्रालय (पाक प्रभाग) से जानकारी प्राप्त करने के लिए, यदि उनके पास कोई है, संपर्क कर सकते हैं।
- 5. यदि आप उपर्युक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् श्री वी0 वुमलुनमंग, संयुक्त सचिव (विदेशी), भूतल, एन0डी0सी0सी0-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

भी भी प्रशेष्ट्राका (पी0वी0 शिवरामन)

निदेशक (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0

RTI MATTER BY SPEED POST

RTI/49/2013-F-I Government of India Ministry of Home Affairs

> NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi, dated 28th May, 2013

To

Shri Avinash Kumar Dwivedi, Father; Sh. Ram Niwas Dwivedi, House No.42/7, Gyan Jyotividya, Behind Temple, Ward No.14,, Manendergarh Korea, Chhattisgarh

3 0 MYA 1 313

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir.

Please refer to your application dated 12.04.2013, received by the undersigned on 01.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No.A-43020/01/2013/-RTI dated 30.04.2013, seeking information under the RTI Act. 2005.

- 2. Information sought by you in point nos. 1 and 2 of your RTI application is not centrally maintained in Ministry of Home Affairs (Foreigners Division). You may contact Home Departments of the concerned State Govts/UT Administration for this information.
- 3. As regards point no 3 of your RTI application, it may be stated that in respect of Pakistani nationals belonging to minority communities in Pakistan who have come to India and have not gone back to Pakistan on the grounds of religious persecution, instructions have been issued by the Ministry of Home Affairs to the State Governments/UT Administrations on 7.3.2012 to consider such cases in the light of the guidelines issued by the Government on 29.12.2011 to deal with cases of foreign nationals who claim to be refugees. The guidelines issued on 29.12.2011 stipulate that in case it is found that prima facie the claim of the foreign national regarding reasons for leaving the originating country is justified on the grounds of well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex. nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, the State Governments/UT Administration may recommend such cases to the Ministry of Home Affairs for grant of Long Term Visa (LTV) after due enquiry. It is further provided that the Ministry of Home Affairs will consider all inputs and convey the final decision on grant of LTV to the State Governments/UT concerned. There are no other specific proposals under consideration of this Ministry with regard to Pakistani and Bangladeshi nationals claiming to be refugees.
- 4. As regards point no. 4 of your RTI application, it may be stated that the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) has no information to furnish in this regard. You may contact the Ministry of External Affairs (Pak Division) for obtaining information, if any available, with them.
- 5. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V.Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

(P.V. Sivaraman)

Director (Foreigners) & CPIO